O.I.H.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 113
TO BE ANSWERED ON 08/12/2021

EXTENSION OF PMGSY

113 SHRI RAM NATH THAKUR:

Will the Minister of Rural Development be pleased to state:

(a) whether Government has recently decided that the construction of roads in the remaining villages will be done on priority basis by extending the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY);
(b) whether any assessment has been done regarding the number of villages that are yet to be connected within the ambit of the current scheme;
(c) the number of remaining villages in Bihar where the construction of roads is yet to be carried out; and
(d) the district-wise details thereof and by when they would be completed?

ANSWER
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement referred to in reply to Parts (a) to (d) of Rajya Sabha Starred Question No. 113 due for answer on 08.12.2021

(a) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-I (PMGSY-I) is a one-time special intervention launched by Government of India on 25th December, 2000 for providing connectivity by way of an all weather road to the eligible unconnected habitations as per core-network with a population of 500 persons in plain areas. In respect of Special Category States (i.e. Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttarakhand), the Desert Areas (as identified in the Desert Development Programme), the Tribal (Schedule V) areas and Selected Tribal and Backward Districts (as identified by the Ministry of Home Affairs and Planning Commission), the objective is to connect eligible unconnected habitations with a population of 250 persons and above (Census 2001). For most intensive Integrated Action Plan (IAP) blocks as identified by Ministry of Home Affairs the unconnected habitations with population 100 and above (as per 2001 Census) is eligible to be covered under PMGSY.

PMGSY-II was launched in the year 2013, with a target for consolidation and upgradation of 50,000 Km of the existing rural road network to improve its overall efficiency as a provider of transportation services for people, goods and services.

Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Areas (RCPLWEA) was launched in the year 2016 with the approval of the CCEA with an aim to improve the road connectivity in 44 worst affected LWE districts and some adjoining districts in 9 States, viz. Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana and Uttar Pradesh. The scheme has twin objectives of enabling smooth and seamless anti-LWE operations by the security forces and also ensuring socio-economic development of the area.

PMGSY-III was launched in the year 2019 for consolidation and upgradation of 1,25,000 Km Through Routes and Major Rural Links connecting habitations, inter-alia, to Gramin Agricultural Markets, Higher Secondary Schools and Hospitals.

As Majority of pending works under PMGSY-I and II are in the North-East and Hilly States. Many states requested for extension of time line due to factors such as covid lockdown, contractual issues, short working season and forest issues. Similarly, request were also received from some of the states implementing RCPLWEA for extension of its time line on the ground such as covid lockdown, contractual issues, short working season, forest issues, law and order issues and lack of response to tenders. The Government has considered their requests and has decided to extend the time line upto September, 2022 for PMGSY-I and II and for RCPLWEA till March, 2023 for completion of balance road and bridge works. PMGSY-III is targeted for completion till March, 2025.

(b) As per programme guidelines, the unit of this programme is a habitation and not a revenue village. Against 1,78,184 eligible habitations of 250+ and 500+ population category identified for coverage under the scheme, 16,086 habitations have been provided connectivity by

the States out of their own resources and 4,722 habitations have either been dropped or have not been found feasible. Out of the balance 1,57,376 habitations sanctioned for providing connectivity under the PMGSY, 1,55,471 have already been connected as on 2nd December, 2021. In 100-249 population category, 6,260 habitations have been sanctioned, out of which, 5,810 habitations have been provided connectivity as on 2nd December, 2021. The details of habitations sanctioned, connected and balance under population category 250+ and 100-249 under PMGSY in all the States/UTs are as under:-

Population Category	**Sanctioned Habitations (Nos.)**	**Connected Habitations (Nos.)**	**Balance Habitations (Nos.)**
250+	1,57,376	1,55,471	1,905
100-249	6,260	5,810	450
Total:	**1,63,636**	**1,61,281**	**2,355**

The state-wise details of habitations sanctioned, connected and balance are given at **Annexure-I**.

(c) & (d) The details of habitations sanctioned, connected and balance under population category 250+ and 100-249 under PMGSY in the State of Bihar is given at **Annexure-II**. The balance habitations are targeted for connectivity by September, 2022.

***

Annexure- I

Annexure referred to in reply to point (b) of Rajya Sabha Starred Question No. 113 for reply on 08.12.2021.

Details of habitations sanctioned, connected and balance in the States/UTs as on 2nd December, 2021

S. No.	Name of States/UTs	Total Sanctioned Habitations			Total Connected Habitations			Balance Habitations to be Connected		
		Eligible 250+	Eligible 100-249	Total	Eligible 250+	Eligible 100-249	Total	Eligible 250+	Eligible 100-249	Total
1	Andaman And Nicobar	7	0	7	6	0	6	1	0	1
2	Andhra Pradesh	1,234	202	1,436	1,221	174	1,395	13	28	41
3	Arunachal Pradesh	641	0	641	540	0	540	101	0	101
4	Assam	13,747	0	13,747	13,679	0	13,679	68	0	68
5	Bihar	30,077	1,429	31,506	29,454	1,372	30,826	623	57	680
6	Chhattisgarh	9,736	1,188	10,924	9,518	936	10,454	218	252	470
7	Dadra And Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Goa	0	0	0	1	0	1	0	0	0
9	Gujarat	3,048	0	3,048	3,048	0	3,048	0	0	0
10	Haryana	1	0	1	1	0	1	0	0	0
11	Himachal Pradesh	2,564	0	2,564	2,451	0	2,451	113	0	113
12	Jammu & Kashmir	2,144	0	2,144	2,026	0	2,026	118	0	118
13	Jharkhand	9,538	1,401	10,939	9,537	1,411	10,948	1	0	0
14	Karnataka	296	0	296	296	0	296	0	0	0
15	Kerala	404	0	404	402	0	402	2	0	2
16	Madhya Pradesh	17,529	12	17,541	17,500	5	17,505	29	7	36
17	Maharashtra	1,347	74	1,421	1,338	65	1,403	9	9	18
18	Manipur	652	0	652	597	0	597	55	0	55
19	Meghalaya	602	0	602	413	0	413	189	0	189
20	Mizoram	232	0	232	224	0	224	8	0	8
21	Nagaland	109	0	109	95	0	95	14	0	14
22	Odisha	15,328	1,695	17,023	15,247	1,596	16,843	81	99	180
23	Punjab	389	0	389	389	0	389	0	0	0
24	Rajasthan	15,976	0	15,976	15,981	0	15,981	2	0	0

25	Sikkim	350	0	350	340	0	340	10	0	10
26	Tamilnadu	1,985	0	1,985	1,985	0	1,985	0	0	0
27	Tripura	2,008	0	2,008	1,955	0	1,955	53	0	53
28	Uttar Pradesh	11,749	0	11,749	11,748	0	11,748	1	0	1
29	Uttarakhand	1,867	0	1,867	1,729	0	1,729	138	0	138
30	West Bengal	13,156	150	13,306	13,091	144	13,235	65	6	71
31	Telangana	595	109	704	595	107	702	0	2	2
32	Ladakh	65	0	65	64	0	64	1	0	1
Total		**1,57,376**	**6,260**	**1,63,636**	**1,55,471**	**5,810**	**1,61,281**	**1,905**	**450**	**2,355**

Annexure- II

Annexure referred to in reply to point (c) & (d) of Rajya Sabha Starred Question No. 113 for reply on 08.12.2021.

District-wise details of habitations sanctioned, connected and balance in the state of Bihar as on 2nd December, 2021

S. No.	Name of district	Total Sanctioned Habitations			Total Connected Habitations			Balance Habitations to be Connected		
		Eligible 250+	Eligible 100-249	Total	Eligible 250+	Eligible 100-249	Total	Eligible 250+	Eligible 100-249	Total
1	Araria	920	0	920	918	0	918	2	0	2
2	Arwal	223	7	230	219	7	226	4	0	4
3	Aurangabad	1,441	326	1,767	1,428	325	1,753	13	1	14
4	Banka	722	0	722	721	0	721	1	0	1
5	Begusarai	515	0	515	508	0	508	7	0	7
6	Bhagalpur	719	0	719	709	0	709	10	0	10
7	Bhojpur	543	0	543	520	0	520	23	0	23
8	Buxar	411	0	411	406	0	406	5	0	5
9	Chapra(Saran)	1,074	0	1,074	1,055	0	1,055	19	0	19
10	Darbhanga	912	0	912	900	0	900	12	0	12
11	East Champaran	1,429	0	1,429	1,407	0	1,407	22	0	22
12	Gaya	1,986	362	2,348	1,964	340	2,304	22	22	44
13	Gopalganj	436	0	436	436	0	436	0	0	0
14	Jahanabad	356	58	414	354	55	409	2	3	5
15	Jamui	946	575	1,521	924	559	1,483	22	16	38
16	Kaimur (Bhabhua)	872	36	908	841	24	865	31	12	43
17	Katihar	629	0	629	602	0	602	27	0	27
18	Khagaria	373	0	373	324	0	324	49	0	49
19	Kishanganj	440	0	440	431	0	431	9	0	9
20	Lakhisarai	239	0	239	207	0	207	32	0	32
21	Madhepura	491	0	491	482	0	482	9	0	9
22	Madhubani	1,217	0	1,217	1,168	0	1,168	49	0	49
23	Munger	385	26	411	377	26	403	8	0	8
24	Muzaffarpur	1,058	0	1,058	1,051	0	1,051	7	0	7
25	Nalanda	538	0	538	526	0	526	12	0	12
26	Nawada	1,104	14	1,118	1,075	12	1,087	29	2	31

27	Patna	899	0	899	885	0	885	14	0	14
28	Purnia	1,013	0	1,013	1,004	0	1,004	9	0	9
29	Rohtas	973	1	974	956	1	957	17	0	17
30	Saharsa	449	0	449	410	0	410	39	0	39
31	Samastipur	1,413	0	1,413	1,395	0	1,395	18	0	18
32	Sheikhpura	131	0	131	117	0	117	14	0	14
33	Sheohar	159	0	159	148	0	148	11	0	11
34	Sitamarhi	969	14	983	940	13	953	29	1	30
35	Siwan	807	0	807	807	0	807	0	0	0
36	Supaul	452	0	452	446	0	446	6	0	6
37	Vaishali	942	0	942	924	0	924	18	0	18
38	West Champ aran	1,891	10	1,901	1,869	10	1,879	22	0	22
Total		**30,077**	**1,429**	**31,506**	**29,454**	**1,372**	**30,826**	**623**	**57**	**680**

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं.113*
(08 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई का विस्तार

113*. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का विस्तार करके जितने भी गांव शेष बचे हैं उनमें सड़क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा;

(ख) क्या इस संबंध में कोई आकलन कराया गया है कि वर्तमान योजना के दायरे में कितने गांवों को सम्पर्क सड़क से जोड़ा जाना बाकी है;

(ग) बिहार में ऐसे कितने गांव बाकी हैं जहां सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना अभी तक शेष है; और

(घ) तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 08.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 113 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (पीएमजीएसवाई-I) भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को शुरू किया गया एकबारगी विशेष कार्यकलाप है जिसका उद्देश्य कोर नेटवर्क के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों की आबादी वाली सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराना है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों (अर्थात अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड), मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित), जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित) में उद्देश्य 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली सड़कों से न जुड़ी सभी पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने का है। गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित सर्वाधिक गहन समेकित कार्य योजना (आईएपी) ब्लॉकों के लिए 100 और उससे अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) की आबादी वाली सड़क संपर्कविहीन बसावटें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं।

पीमएजीएसवाई-II की शुरूआत वर्ष 2013 में की गई थी, इसमें लोगों, वस्तुओं तथा सेवाओं हेतु आवागमन सेवाओं के प्रदाता के रूप में इसकी समग्र कार्यकुशलता में सुधार के उद्देश्य से मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर के समेकन तथा उन्नयन का लक्ष्य था।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सपंर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्लूईए) की शुरूआत वर्ष 2016 में सीसीईए के अनुमोदन से की गई थी जिसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 44 जिलों और 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कुछ संबद्ध जिलों में सड़क संपर्कता में सुधार करना था। यह योजना सुरक्षा बलों के निरंतर और निर्बाध वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों में सहायता करने तथा क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य से शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III का शुभारंभ वर्ष 2019 में बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर थ्रू-रूटों और मुख्य ग्रामीण लिंकों के समेकन और उन्नयन के लिए किया गया था।

पीएमजीएसवाई-I और II के अंतर्गत अधिकांश लंबित कार्य पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के हैं। कई राज्यों ने कोविड लॉकडाउन, ठेके से संबंधित मुद्दों, काम की कम अवधि, वन मुद्दों जैसे कारकों के कारण समय-सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसी प्रकार, आरसीपीएलडब्लूईए

का कार्यान्वयन करने वाले कुछ राज्यों ने कोविड लॉकडाउन, ठेके से संबंधित मुद्दों, काम की कम अवधि, वन मुद्दों, कानून व्यवस्था से जुडे मुद्दों तथा निविदा के लिए प्रतिक्रिया की कमी जैसे मुद्दों के आधार पर समय-सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार किया है तथा पीएमजीएसवाई-I और II के लिए सितंबर, 2022 तक और आरसीपीएलडब्लूईए के लिए मार्च, 2023 तक शेष सड़कों और पुल कार्यों को पूरा करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। पीएमजीएसवाई-III को मार्च, 2025 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ख): कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम की इकाई एक बसावट है न कि राजस्व ग्राम। योजना के तहत कवरेज के लिए पहचान की गई 250+ और 500+ जनसंख्या श्रेणी की 1,78,184 पात्र बसावटों में से, 16,086 बसावटों को राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से संपर्कता प्रदान की गई है और 4,722 बसावटों को या तो निरस्त कर दिया गया है या व्यवहार्य नहीं पाया गया है। 2 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार पीएमजीएसवाई के तहत संपर्कता प्रदान करने के लिए स्वीकृत शेष 1,57,376 बसावटों में से 1,55,471 को पहले ही जोड़ा जा चुका है। 2 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार 100-249 जनसंख्या वर्ग में, 6,260 बसावटों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 5,810 बसावटों को पहले ही जोड़ा जा चुका है। सभी राज्यों/ संघ शासित राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत 250+ और 100-249 जनसंख्या वर्ग के तहत स्वीकृत, संपर्कता प्रदान की गई और संपर्कता प्रदान किए जाने के लिए शेष बसावटों का विवरण निम्नानुसार है :-

जनसंख्या वर्ग	स्वीकृत बसावटें (सं.)	सड़क से जुड़ी हुई बसावटें (सं.)	शेष बसावटें (सं.)
250+	1,57,376	1,55,471	1,905
100-249	6,260	5,810	450
कुल :	**1,63,636**	**1,61,281**	**2,355**

स्वीकृत, संपर्कता प्रदान की गई और संपर्कता प्रदान किए जाने के लिए शेष बसावटों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): बिहार राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत 250+ और 100-249 जनसंख्या वर्ग के तहत स्वीकृत, सड़क संपर्क से जुड़ी हुई और संपर्कता के लिए शेष बसावटों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। शेष बसावटों को सितंबर, 2022 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

अनुबंध- I

राज्य सभा में दिनांक 08.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 113 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 02 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ शासित राज्यों में स्वीकृत, जोड़ी गई और शेष बसावटों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित राज्यों का नाम	कुल स्वीकृत बसावटें			कुल जोड़ी गई बसावटें			जोड़ी जाने वाली शेष बसावटें		
		पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल
1	अंडमान और निकोबार	7	0	7	6	0	6	1	0	1
2	आंध्र प्रदेश	1,234	202	1,436	1,221	174	1,395	13	28	41
3	अरुणाचल प्रदेश	641	0	641	540	0	540	101	0	101
4	असम	13,747	0	13,747	13,679	0	13,679	68	0	68
5	बिहार	30,077	1,429	31,506	29,454	1,372	30,826	623	57	680
6	छत्तीसगढ़	9,736	1,188	10,924	9,518	936	10,454	218	252	470
7	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गोवा	0	0	0	1	0	1	0	0	0
9	गुजरात	3,048	0	3,048	3,048	0	3,048	0	0	0
10	हरियाणा	1	0	1	1	0	1	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	2,564	0	2,564	2,451	0	2,451	113	0	113
12	जम्मू और कश्मीर	2,144	0	2,144	2,026	0	2,026	118	0	118
13	झारखंड	9,538	1,401	10,939	9,537	1,411	10,948	1	0	0
14	कर्नाटक	296	0	296	296	0	296	0	0	0
15	केरल	404	0	404	402	0	402	2	0	2
16	मध्य प्रदेश	17,529	12	17,541	17,500	5	17,505	29	7	36
17	महाराष्ट्र	1,347	74	1,421	1,338	65	1,403	9	9	18
18	मणिपुर	652	0	652	597	0	597	55	0	55
19	मेघालय	602	0	602	413	0	413	189	0	189
20	मिजोरम	232	0	232	224	0	224	8	0	8
21	नागालैंड	109	0	109	95	0	95	14	0	14

22	ओडिशा	15,328	1,695	17,023	15,247	1,596	16,843	81	99	180
23	पंजाब	389	0	389	389	0	389	0	0	0
24	राजस्थान	15,976	0	15,976	15,981	0	15,981	2	0	0
25	सिक्किम	350	0	350	340	0	340	10	0	10
26	तमिलनाडु	1,985	0	1,985	1,985	0	1,985	0	0	0
27	त्रिपुरा	2,008	0	2,008	1,955	0	1,955	53	0	53
28	उत्तर प्रदेश	11,749	0	11,749	11,748	0	11,748	1	0	1
29	उत्तराखंड	1,867	0	1,867	1,729	0	1,729	138	0	138
30	पश्चिम बंगाल	13,156	150	13,306	13,091	144	13,235	65	6	71
31	तेलंगाना	595	109	704	595	107	702	0	2	2
32	लद्दाख	65	0	65	64	0	64	1	0	1
	कुल	**1,57,376**	**6,260**	**1,63,636**	**1,55,471**	**5,810**	**1,61,281**	**1,905**	**450**	**2,355**

अनुबंध- II

राज्य सभा में दिनांक 08.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 113 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 02 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में स्वीकृत, जोड़ी गई और शेष बसावटों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल स्वीकृत बसावटें			कुल जोड़ी गई बसावटें			जोड़ी जाने वाली शेष बसावटें		
		पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल
1	अररिया	920	0	920	918	0	918	2	0	2
2	अरवल	223	7	230	219	7	226	4	0	4
3	औरंगाबाद	1,441	326	1,767	1,428	325	1,753	13	1	14
4	बांका	722	0	722	721	0	721	1	0	1
5	बेगूसराय	515	0	515	508	0	508	7	0	7
6	भागलपुर	719	0	719	709	0	709	10	0	10
7	भोजपुर	543	0	543	520	0	520	23	0	23
8	बक्सर	411	0	411	406	0	406	5	0	5
9	छपरा (सारण)	1,074	0	1,074	1,055	0	1,055	19	0	19
10	दरभंगा	912	0	912	900	0	900	12	0	12
11	पूर्वी चंपारण	1,429	0	1,429	1,407	0	1,407	22	0	22
12	गया	1,986	362	2,348	1,964	340	2,304	22	22	44
13	गोपालगंज	436	0	436	436	0	436	0	0	0
14	जहानाबाद	356	58	414	354	55	409	2	3	5
15	जमुई	946	575	1,521	924	559	1,483	22	16	38
16	कैमूर (भभुआ)	872	36	908	841	24	865	31	12	43

17	कटिहार	629	0	629	602	0	602	27	0	27
18	खगरिया	373	0	373	324	0	324	49	0	49
19	किशनगंज	440	0	440	431	0	431	9	0	9
20	लखीसराय	239	0	239	207	0	207	32	0	32
21	मधेपुरा	491	0	491	482	0	482	9	0	9
22	मधुबनी	1,217	0	1,217	1,168	0	1,168	49	0	49
23	मुंगेर	385	26	411	377	26	403	8	0	8
24	मुजफ्फरपुर	1,058	0	1,058	1,051	0	1,051	7	0	7
25	नालंदा	538	0	538	526	0	526	12	0	12
26	नवादा	1,104	14	1,118	1,075	12	1,087	29	2	31
27	पटना	899	0	899	885	0	885	14	0	14
28	पूर्णिया	1,013	0	1,013	1,004	0	1,004	9	0	9
29	रोहतास	973	1	974	956	1	957	17	0	17
30	सहरसा	449	0	449	410	0	410	39	0	39
31	समस्तीपुर	1,413	0	1,413	1,395	0	1,395	18	0	18
32	शेखपुरा	131	0	131	117	0	117	14	0	14
33	शिवहर	159	0	159	148	0	148	11	0	11
34	सीतामढ़ी	969	14	983	940	13	953	29	1	30
35	सिवान	807	0	807	807	0	807	0	0	0
36	सुपौल	452	0	452	446	0	446	6	0	6
37	वैशाली	942	0	942	924	0	924	18	0	18
38	पश्चिम चंपारण	1,891	10	1,901	1,869	10	1,879	22	0	22
कुल		**30,077**	**1,429**	**31,506**	**29,454**	**1,372**	**30,826**	**623**	**57**	**680**

श्री राम नाथ ठाकुर: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-III' का शुभारंभ वर्ष 2019 में बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाली 1,25,000 किलोमीटर थ्रू-रूटों और मेजर लिंक्स के लिए किया गया था। उसमें बिहार में कितने किलोमीटर सड़कें बनीं और कितने किलोमीटर बाकी हैं, यह बताने का कष्ट करें।

साध्वी निरंजन ज्योति: माननीय उपसभापति महोदय, आज जब मैं संसद में 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के विषय पर उत्तर देने लिए खड़ी हुई हूं, तो आज मैं श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करती हूं, क्योंकि 25 दिसम्बर को उनकी जयंती भी है और आज जो उपराष्ट्रपति हैं और इस सभा के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस योजना को लागू किया था। माननीय उपसभापति महोदय, हम लोग वर्ष 2021 में हैं। माननीय सदस्य ने बिहार के सम्बन्ध में पूछा है। ये सड़कें बारहमासी सड़कें हैं और अभी 3rd phase में हमने जो लिया है, उसमें विद्यालय हैं, अस्पताल हैं और जो सार्वजनिक जगहें हैं, उनको लेकर स्वीकृति दी है। माननीय उपसभापति महोदय, अभी 1st और 2nd phase का काम ही पूरा नहीं हुआ है, जिसके समय को हमने 2022 तक बढ़ा दिया है और जो वामपंथी एरियाज़ हैं, वहाँ हमने इसे 2023 तक कर दिया है। यह पूर्ण होने पर, यदि शेष बचेगा, तो हम आगे देखेंगे।

श्री राम नाथ ठाकुर : उपसभापति महोदय, बिहार में जो बाकी सड़कें हैं, उनमें अगले वित्तीय वर्ष में कितनी राशि लगेगी और कितनी अगले वित्तीय वर्ष में बन कर तैयार हो जाएँगी, क्या माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में बताने की कृपा करेंगी?

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय उपसभापति महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारी 1st और 2nd phase की सड़कें 2022 तक पूर्ण हो जाएँगी। 3rd phase की सड़कें हम 2025 तक पूरी करने वाले हैं। उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : माननीय उपसभापति महोदय, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें जो पात्र हैं, उसमें मात्र एक गाँव आता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह प्रश्न विस्तार के बारे में है। यूपीए के समय उत्तर प्रदेश के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जी से मिला था और उस समय के माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था। मेरा सवाल खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर है कि एक बड़ा नेटवर्क नहर की पटरियों का है, जो गाँवों को जोड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो नहर की पटरियाँ हैं, क्या उनको core network में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री गिरिराज सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, वह राज्य की दृष्टि से गम्भीर विषय है, लेकिन Indian Roads Congress के तहत और राज्यों से परामर्श के बाद एक core network पूरे देश में तैयार किया गया है।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो हमने 1 लाख 25 हज़ार किलोमीटर में से उत्तर प्रदेश में 18,937 किलोमीटर और बिहार में 6,162.5 किलोमीटर सड़कें ली हैं। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल core network को चेंज करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री राकेश सिन्हा : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर बिहार के उन क्षेत्रों में, जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ अस्पताल और स्कूल हैं, वहाँ तक सड़क से जोड़ने की अभी कितनी योजनाएँ हैं, कितनी क्रियान्वित होनी हैं और भविष्य की कितनी योजनाओं की प्लानिंग हो रही है? उसी में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, चूँकि मंत्री जी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : राकेश जी, आपका एक क्वेश्चन हो गया।

श्री राकेश सिन्हा : महोदय, यह उसी का हिस्सा है। चूँकि मंत्री जी उसी क्षेत्र से आते हैं, rural development एक ऐसी चीज़ है, जो राज्य और केन्द्र के बीच में आ जाती है, वहाँ water logging की समस्या के कारण सड़क बनना दुर्लभ हो जाता है। हम drought और flood तो जानते हैं, लेकिन water logging के कारण rural development में एक बड़ी चुनौती है कि किसान जहाँ 3 फसलें करना चाहते हैं, वहाँ एक फसल ही करते हैं। तो उस water logging की समस्या से निजात पाने के लिए -- जिसको बिहार में 'चौर' कहते हैं, शायद आप उस शब्द से परिचित होंगे -- उसके लिए क्या निदान निकाला जा रहा है?

श्री गिरिराज सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार की स्थिति और परिस्थिति को लेते हुए इस विषय को उठाया है। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने यह बात रखना चाहूँगा कि PMGSY-3 के अन्तर्गत हम upgradation का काम कर रहे हैं। जो सड़कें माननीय वाजपेयी जी के समय से शुरू हुईं, वे connectivity के लिए थीं। Connectivity के बाद, अब यह जो 3rd phase है, इसमें हम upgradation कर रहे हैं। Upgradation में हम उन्हीं सड़कों को ले रहे हैं, जो सड़कें पहले से core network में दी हुई हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमने बिहार को 6,113 किलोमीटर सड़कें दी हैं और उसी के तहत उत्तर बिहार भी आयेगा और दक्षिण बिहार भी आयेगा।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। माननीय डा. सुमेर सिंह सोलंकी जी।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी : माननीय उपसभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मैं मध्य प्रदेश के उन जनजातीय जिलों से आता हूं, जहां के जनजातीय भाई-बहन जो लगातार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बन रही हैं, उनके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते रहे हैं।

श्री उपसभापति : सोलंकी जी, आप कृपया सवाल पूछिए।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी: माननीय उपसभापति महोदय, मेरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में अभी भी ऐसे राजस्व और वन ग्राम हैं, जो अभी तक बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे राजस्व और वन ग्राम बारहमासी सड़कों से कब तक जुड़ जायेंगे?

श्री गिरिराज सिंह : माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस संबंध में चिन्ता व्यक्त की है। देश के अंदर मध्य प्रदेश को 1,00,025 में से 12,362.5 किलोमीटर सड़कें दी गई हैं तथा बिहार और कई राज्य उन बची हुई सड़कों को अपनी स्कीम से जोड़कर कर रहे हैं। भारत सरकार फेज़-थ्री में अपग्रेडेशन का कार्य फेज़-थ्री में कर रही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No.114 by Dr. Faujia Khan. Absent.